पटवारी रिपोर्ट

श्रीमानजी, संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में सोहनलाल पुत्र कामडराम है जो कि वास्तविक नाम है। जबकि जमाबंदी सम्वत 2072-75 खाता सं. 340, 341, 343, 549 में इन्द्राज काश्तकार का नाम सोहन पुत्र कामड है जो कि त्रुटिवश गलत है। प्रार्थी का नाम जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा आया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र कामड के स्थान पर सोहनलाल पुत्र कामडराम किया जाना प्रस्तावित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट

श्रीमानजी, मुताबिक राजस्व रेकार्ड खाता में प्रार्थी का नाम सोहन जरिये विक्रय पत्र दि 3-3-84 अनुसार इन्द्राज है। प्रार्थी संलग्न दस्तावेज अनुसार अपना नाम सोहन के स्थान पर सोहनलाल करवाना चाहता है। [illegible]

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी f 2Ak यथाप्रस्तावित

2025
651

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्प

प्रकरण / PGKSA / 2021 / 362

दिनांक : 10-10-25

* आदेश *

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती की करने हेतु सहमति लिखित में दी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख की [illegible] रिपोर्ट एवं तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा -136 के अनुसरण में ग्राम पारा किया तहसील - नसीराबाद की जमाबंदी संवत 2075 के खाता नं 340, 341, 343, 549 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

| क्र.सं. | पूर्व इंद्राज खातेदार का विवरण | खसरा नं. | रकबा | स्वीकृत किया गया नया इंद्राज खातेदार का विवरण | खसरा नं. | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सोहन पुत्र कामड़ | ख.न. 340, 341, 343, 549 | | सोहनलाल पुत्र कामड़राम | ख.न. 340, 341, 343, 549 | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.17 11:33:13 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक:- 3545-46

दिनांक:- 16-10-25

प्रतिलिपि: तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थ
आवेदक पक्षकार को

प्रभारी अधिकारी एवं [illegible] अधिकारी
नसीराबाद